(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 92/2023

दायर दिनांकः 03.08.2023

उनवान

1— कारूलाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

2— भेरूलाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

—वादीगण

बनाम

1— घीसालाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

2— बापूलाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

3— मन्नालाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

4— अशोक कुमार आत्मज रामलाल जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

5— सुरेशचन्द आत्मज रामलाल जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

6— लीलाबाई स्व. रामलाल जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

7— शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा भवानीमण्डी

8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 88, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण—
अभिभाषक वादीगण — श्री अशोक पाटीदार
प्रतिवादी सं. 1 से 7 — एकतरफा
प्रतिवादी सं. 8 — पेराकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 10.06.2026**

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल जिला झालावाड़ की खाता सं. 282 खसरा न. 383 रकबा 2.0867 हैक्टेयर, खसरा न. 384 रकबा 0.1265 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.2132 हैक्टेयर आराजी स्थित है, जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 सहखातेदार की आराजी होकर वर्तमान मे वादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज है। तथा ग्राम मगीसपुर के ही खाता स. 283 खसरा न. 167 रकबा 0. 0506 हैक्टेयर, खसरा न. 281 रकबा 1.0117 हैक्टेयर, खसरा न. 282 रकबा 1.2267 हैक्टेयर, खसरा न. 283 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, खसरा न. 315 रकबा 0.6576 हैक्टेयर, खसरा न. 316 रकबा 0.6829 हैक्टेयर, खसरा न. 345 रकबा 0.8347 हैक्टेयर, खसरा न. 346 रकबा 0.5944 हैक्टेयर, खसरा न. 347 रकबा 0. 5691 हैक्टेयर, खसरा न. 385 रकबा 0.3667 हैक्टेयर, खसरा न. 386 रकबा 0.0632 हैक्टेयर, खसरा न. 387 रकबा 0.6070 हैक्टेयर, खसरा न. 388 रकबा 0.7335 हैक्टेयर, खसरा न. 391 रकबा 1. 4290 हैक्टेयर कुल किता 15 कुल रकबा 9.9021 हैक्टेयर आराजी स्थित है, जिसमे वादीगण का 1/12, 1/12 हिस्सा दर्ज है। यह कि उपरोक्त आराजी के सम्बंध में यह वाद पेश किया जा रहा है। वाद में इसे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।. यह कि वाद के पेरा न. 1 मे दर्ज वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को पुश्तेनी आराजी है जो उनको उनके पिता डालूराम से प्राप्त हुई तथा डालूराम को उनके पिता से प्राप्त हुई है। डालूराम जी का पारिवारिक शजरा वाद पत्र के पैरा सं. 3 अनुसार है। उपरोक्त शजरे मुताबिक कालूराम के पांच पुत्र वादीगण व प्रतिवादी लगायत 3 थे तथा दो पत्निया थी। यह कि वादीगण के पिता डालूराम के फोत होने से पहले हि उनकी एक पत्नि गेंदीबाई का स्वर्गवास हो जाने से वादग्रस्त आराजी में खुले उनके इन्तकाल में वारिसान में पांचो पुत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण लगायत 3 व रोडीबाई का नाम वादग्रस्त आराजी के बराबर बराबर हिस्से में दर्ज कर दिया। यह कि रोडीबाई के फोत होने के बाद वादग्रस्त आराजी में खुले फोती नामान्तरण में उनके हिस्से का नामान्तरण प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के हिस्से दर्ज कर दिया, जो गलत दर्ज हुआ क्योकि वादग्रस्त आराजी पुश्तेनी होने व वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 भाई होने से उनके बाप दादाओं से प्राप्त आराजी में उनका समान हक व हिस्सा निहत है। यह कि वाद के पेरा न. 1 मे दर्ज आराजी के खाता सं. 282 ग्राम मगीसपुर मे वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 का समान हक हिस्सा 1/5, 1/5 तथा खाता सं. 283 ग्राम मगीसपुर वादीगण एवं

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 का 1/10, 1/10 हिस्सा आराजी पुश्तैनी होने से बनता इस मुताबिक ही मौके पर बटवारा भी हो रहा इस हिस्से की घोषणा करवाने के वादीगण पात्रता रखते है। यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 से राजस्व अभिलेख मे वादग्रस्त आराजी मे अपने हिस्से को सही दर्ज करवाने का निवेदन किया तो उन्होने हमेशा टालमटोल किया तथा सही हिस्सा दर्ज नही करवाया इस कारण वादीगण के पास वाद पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा है। अतः यह वाद प्रस्तुत है। यह कि वाद कारण प्रतिवादीगण न. 1 लगायत 3 द्वारा वादग्रस्त आराजी मे वादीगण के हिस्से को समान हिस्से के रूपमे दर्ज करवाने से मना करने से उत्पन होकर वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि वादीगण प्रतिवादीगण 4 लगायत 6 के खिलाफ कोई राहत नही चाहती है। सहखातेदार होने से व प्रतिवादी न. 7 के यहां आराजी रहन होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि वादग्रस्त आराजी ग्राम मगीसपुर तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद अवधिमध्य उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है। यह कि वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रार्थना करते है।

अ– डीकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के इस आशय की पारित की जावे की पेरा न. 1 में दर्ज आराजी ग्राम मगीसपुर तहसील सुनेल की जमाबन्दी, खाता से. 282 मे वादीगण को प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के साथ 1/5, 1/5 हिस्से के तथा खाता सं. 283 में 1/10, 1/10 हिस्से के खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

ब– खातेदार घोषित कर खाता अलग से कायम किया जावें। अन्य जो राहत न्यायालय उचित समझे वह भी दिलवाई जावें।|

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 7 की ओर से बावजदू सूचना अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 08.01.2025 व दिनांक 24.02.2025 से प्रतिवादी सं. 1 से 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

3. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल के खाता सं. 282, 283 की जमाबंदी सं. 2075–78 प्रदर्श 1 व 2, नामा.सं. 921 प्रदर्श 3, नामा.सं. 1582 दिनांक 20.04.2023 प्रदर्श 4 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में दूधालाल पि. लक्ष्मण, कालूराम पि. डालूराम, विजयकुमार पि. राजूलाल, श्रीकृष्ण पि. बापूलाल PW 1 to PW 4 के शपथपत्र/बयान कराये।

4. अभिभाषक वादीगण की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2075–78 के खाता सं. 282 की आराजी किता 2 रकबा 2.2132 हैक्टर तथा खाता सं. 283 की आराजी किता 15 रकबा 9.9021 हैक्टर भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 की पुश्तैनी भूमि है जो उन्हे उनके पिता डालूराम से विरासत में जरिये फोती नामा.सं. 921 दिनांक 24.01.2013 से प्राप्त हुई थी। खाता सं. 282 की आराजी किता 2 रकबा 2.2132 हैक्टर भूमि में वादीगण का 1/6, 1/6 हिस्सा और खाता सं. 283 की आराजी किता 15 रकबा 9.9021 हैक्टर में हिस्सा 1/12, 1/12 दर्ज रिकार्ड है। अभिभाषक वादीगण द्वारा आगे तर्क किया कि मृतक खातेदार डालूराम के दो पत्नियां–गेंदीबाई व रोडीबाई है। पहली पत्नि रोडीबाई से तीन पुत्र प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं दूसरी मृतक पत्नि गेंदीबाई से दो पुत्र वादीगण है। खातेदार डालूराम ने अपने जीवनकाल में ही आपसी पारिवारिक सहमति से वादग्रस्त आराजी का दोनो पत्नियों के वारीसानो के मध्य 1/2–1/2 बंटवारा कर कब्जा सौप दिया था और तभी से दोनो पत्नियों के वारीसान अपने अपने हिस्से पर शांतीपूर्वक कब्जे काश्त चले आ रहे है लेकिन नायब तहसीलदार सुनेल द्वारा नामा.सं. 921 दिनांक 24.01.2013 दर्ज करते समय विधि विरूद्ध रूप से वादीगण की मा का नाम कम करते हुए सभी वारीसानो के समान रूप से हिस्से दर्ज कर दिये गये। आगे तर्क किया कि रोडीबाई के फोत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा नामा.सं. 1582 दिनांक 31.03.2023 दर्ज करते हुए पांचो पुत्रो के स्थान पर तीन पुत्रो

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम दर्ज किया गया जबकि प्रतिवादीगण के साथ साथ रोडीबाई की भूमि में वादीगण का नाम दर्ज किया जाना चाहिये था। अतः वादग्रस्त आराजी खाता सं. 282 में पांचो पुत्रो को 1/5–1/5 हिस्से पर एवं खाता सं. 283 में हिस्सा 1/10–1/10 पर खातेदार कृषक घोषित कर पृथक से खाता कायम किया जावे। अभिभाषक वादीगण ने आगे तर्क किया कि खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष नहीं दिये जाने की स्थिति में खाता विभाजन का अनुतोष नहीं दिया जावे।

5. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पेश गवाहो का परीक्षण किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी नामा.सं. 921 दिनांक 24.01.2013 के अवलोकन से जाहिर है कि मृतक खातेदार डालूराम पुत्र पूरा धोबी का तत्कालीन खाता सं. 83 किता 2 रकबा 8–15 बीघा हिस्सा सम्पूर्ण एवं खाता सं. 84 किता 15 रकबा 39–03 बीघा में हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड था। यह निर्विवादित तथ्य है कि मृतक खातेदार डालूराम के दो पत्नियां– गेंदीबाई व रोडीबाई थी जिसमें से वक्त फोती नामान्तरण प्रतिवादी सं. 1 से 3 की माता रोडीबाई जीवित थी जबकि वादीगण का माता गेंदीबाई फोत हो चुकी थी। अतः वक्त फोती इन्तकाल खातेदार डालूराम के कुल 6 वारीसान पांच पुत्र व एक बेवा जीवित थे। अतः **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8** के अनुसार नामा.सं. 921 में मृतक हिन्दू खातेदार डालूराम के प्रथम श्रेणी के सभी 6 वारीसानो का हिस्सा 1/6–1/6 दर्ज किया जाना विधिवत था। **अधिनियम की धारा 10 नियम 1** के अनुसार वादीगण की माता गेंदीबाई के फोत होने से उनको कोई हक या अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

6. वादीगण द्वारा पेश डालूराम की पत्नि एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3 की माता रोडीबाई के फोती नामा.सं. 1582 दिनांक 20.04.2023 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक खातेदार रोडीबाई के स्थान पर विरासत में उनके वारीसान तीनो पुत्रो का नाम दर्ज किया गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

की धारा 14 व 15 के अनुसार नामा.सं. 1582 विधिवत रूप से निर्णित किया गया था। वादीगण मृतक खातेदार रोडीबाई के प्रथम श्रेणी के वारीसान नहीं होने और रोडीबाई के पुत्रो के जीवित होने से धारा 15(2)(बी) के अनुसार उनको रोडीबाई की सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सुविधा के लिए यहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15(2) का अवलोकन किया जाना उचित होगा।

15. General rules of succession in the case of female Hindus.—(1) The property of a female Hindu dying intestate shall devolve according to the rules set out in section 16,— (a) firstly, upon the sons and daughters (including the children of any pre-deceased son or daughter) and the husband; (b) secondly, upon the heirs of the husband; (c) thirdly, upon the mother and father; (d) fourthly, upon the heirs of the father; and (e) lastly, upon the heirs of the mother. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1),— (a) any property inherited by a female Hindu from her father or mother shall devolve, in the absence of any son or daughter of the deceased(including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the father; and **(b) any property inherited by a female Hindu from her husband or from her father-in-law shall devolve**, in the absence of any son or daughter of the deceased (including the children of any pre-deceased son or daughter) not upon the other heirs referred to in sub-section (1) in the order specified therein, but upon the heirs of the husband.

7. अभिभाषक वादीगण ने बहस में कथन किया है कि यदि न्यायालय वादीगण को खातेदारी अधिकारो की घोषणा का अनुतोष खारीज करती है तो खाता विभाजन का अनुतोष भी प्रदान नहीं किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

8. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2075—78 के खाता सं. 282 की आराजी किता 2 रकबा 2.2132 हैक्टर तथा खाता सं. 283 की आराजी किता 15 रकबा 9.9021 हैक्टर भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

9. परिणामतः ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2075—78 के खाता सं. 282 की आराजी किता 2 रकबा 2.2132 हैक्टर तथा खाता सं. 283 की आराजी किता 15 रकबा 9.9021 हैक्टर भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/6/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

(11)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 92/2023

दायर दिनांकः 03.08.2023

उनवान

1— कारूलाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2— भेरूलाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल

—वादीगण

बनाम

1— घीसालाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
2— बापूलाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
3— मन्नालाल आत्मज डालूराम जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
4— अशोक कुमार आत्मज रामलाल जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
5— सुरेशचन्द आत्मज रामलाल जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
6— लीलाबाई स्व. रामलाल जाति धोबी नि. मगीसपुर तहसील सुनेल
7— शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैंक शाखा भवानीमण्डी
8— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

—प्रतिवादीगण

दावा धारा 53, 88, 209 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति अभिभाषकगण—
अभिभाषक वादीगण — श्री अशोक पाटीदार
प्रतिवादी सं. 1 से 7 — एकतरफा
प्रतिवादी सं. 8 — पेराकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

ग्राम मंगीसपुर तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2075—78 के खाता सं. 282 की आराजी किता 2 रकबा 2.2132 हैक्टर तथा खाता सं. 283 की आराजी किता 15 रकबा 9.9021 हैक्टर भूमि के संबंध में वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 209 आर.टी.एक्ट खारीज किया जाता है।

10/6/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....
X.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 10.06.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
निजान		निजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़